न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 319/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. गुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह 2. अर्जुनसिंह पुत्र पूनमसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम बारू, तह0 बाप, जिला फलौदी)		1. सुशीला कंवर पत्नी नखतसिंह जाति राजपूत, निवासी माधुसिंह की ढाणी, केतु धीरपुरा, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर

प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण–

2. पदमसिंह पुत्र लालसिंह
3. हाथीसिंह पुत्र मोतीसिंह
4. कैलाश कंवर पुत्री मगसिंह
5. केशरसिंह पुत्र मगसिंह
6. छेलूसिंह पुत्र मगसिंह
7. जेठी कंवर पत्नी मगसिंह
8. जयसिंह पुत्र मगसिंह
9. भवानीसिंह पुत्र मगसिंह
10. महिपालसिंह पुत्र मगसिंह
11. समन्दरसिंह पुत्र मगसिंह
12. सोहनसिंह पुत्र मगसिंह
13. प्रेमसिंह पुत्र चैनसिंह
14. माधुसिंह पुत्र चैनसिंह
15. स्वरूपसिंह पुत्र चैनसिंह
16. भंवरीकंवर पत्नी भाखरसिंह
17. शैतानसिंह पुत्र भाखरसिंह
18. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
19. गंगासिंह पुत्र पूनमसिंह
20. जयसिंह पुत्र पूनमसिंह
21. नाहरसिंह पुत्र पूनमसिंह
22. शैलेन्द्रसिंह पुत्र पूनमसिंह
23. पूनमसिंह पुत्र दानसिंह
24. गिरधारीसिंह पुत्र आसुसिंह
25. मगसिंह पुत्र सदारामसिंह
26. मालमसिंह पुत्र सदारामसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम बारू, तह0 बाप, जिला फलौदी)
27. नखतसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत निवासी ग्राम केतु धीरपुरा, तह0 सेखाला, जिला जोधपुर
28. जगमालसिंह पुत्र देवीसिंह

जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम लोहावट जाटावास, तह0 लोहावट जिला, फलौदी
29. राणीदान पुत्र कन्हैयालाल सेवग निवासी ग्राम उग्रास, तहसील एवं जिला फलौदी
30. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2024 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) राजस्व प्रकरण संख्या 90/2022 अनवान सुशीला कंवर बनाम पदमसिंह वगैरा

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलाण्ट
2. श्री ओमप्रकाश बूब, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 30

निर्णय

दिनांक 20 .11.2025

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया–रेस्पं0 सं0 1–सुशीला ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील बाप के ग्राम बारू स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 564 रकबा 8.3527 हैक्टर भूमि की फर्द सीमांकन दिनांक 23.03.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.24 द्वारा स्वीकार कर प्राथी–रेस्पो0 की उल्लेखित खसरान की भूमि की पत्थरगढ़ी फर्द सीमांकन अनुसार पडौसी खातेदारों को सूचित कर, विधिवत करवाने हेतु तहसीलदार बाप को आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 3 व 20 ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि रेस्पो0–प्रार्थीया

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि की पैमाईश दिनांक 23.3.22 को की गई। पडौसी खातेदार फसल सुरक्षा हेतु खूटे रोपकर तारबंदी नही करने दे रहे है, इस कारण पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जरियें अधिवक्ता उपस्थित रहे। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 2–इन्दो कंवर फौत हो जाने से अपीलांट द्वारा अबेट होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना शेष था। इस दरमियान दिनांक 19.7.24 से अधिवक्ताओं की स्थानीय हड़ताल के कारण न्यायिक कार्यो का बहिस्कार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त दिनांक को एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट खसरा नं0 566 के रेकर्डेड खातेदार है, उक्त दोनों खसरों की दोनो पक्षों की उपस्थिति विधिवत पैमाईश नही हुई है। वक्त पैमाईश अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई। आरएलआर एक्ट की धारा 111 में उभय पक्ष की मौजूदगी में निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने पर उपखण्ड अधिकारी को धारा 128 में पत्थरगढी के आदेश पारित करने का प्रावधान है। वादग्रस्त ख0नं0 564 की भूमि जमाबंदी में दर्ज रकबे से मौके पर कम है। रेस्पो0 पत्थगढी की आड में अपीलांट के ख0नं0 566 में कब्जा करने के कुचेष्टा कर रहे है। इस कारण ख0नं0 566 की पैमाईश की जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1–प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–अप्रार्थी सं0 3 एवं 20 के अधिवक्ता ने दिनांक 01.11.22 को वकालतनाम पेश किया, जिन्हें जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 32–तहसीलदार बाप का जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं0 3 एवं 20–अपीलांट द्वारा दिनांक 24.5.23 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र एबेट करने बाबत का रेस्पो0–प्रार्थीया द्वारा दिनांक 31.5.25 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद बहस दिनांक 28.6.24

को अपीलांट–अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र एबेट करने बाबत सारहीन होने से खारिज कर दिया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब/अंतिम बहस हेतु दिनांक 3.7.24 नियत की गई। दिनांक 3.7.24 को अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते मूल प्रार्थना पत्र एबेट करने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त तिथि को उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा इसी दिन मूल प्रार्थना पर अंतिम बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8.7.25 नियत की गई। तद्उपरांत दिनांक 8.7.25 को समयाभाव से निर्णय नही लिखवाये जाने से प्रकरण में दिनांक 19.7.24 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त तिथि की आदेशिकाओं से साबित है कि उभय पक्ष की अंतिम बहस दिनांक 3.7.24 को सुनी गई तथा इससे पूर्व भी बहस हेतु अवसर दिये गये। अतः अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा अपील मीमों में किए गये अभिकथन सही नही है, अपितु वे स्वयं रेस्पो0–प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर बदनियती से पत्थरगढी नही होने देना चाहते है। प्रार्थीया का वादग्रस्त खसरान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त शांति पूर्वक लगातार चला आ रहा है व प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाडे आदि बने हुए है। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त खसरान की नियमानुसार पैमाईश करवायी गई। प्रार्थीया द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त खसरान की पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने पर पडौसी खातेदार ने मना कर दिया। आवेदन के संलग्न पैमाईश फर्द दिनांक 23.3.22, जमाबंदी संवत् 2078–81 एवं नक्शा ट्रेस की प्रतियां प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि पर पैमाईश फर्द दिनांक 23.03.22 अनुसार पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार बाप के पत्रांक 5084 दिनांक 20.12.22 द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दु सं0 2 में उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करने के उल्लेख के

साथ, निष्कर्षतः प्रार्थीया उक्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार होना, प्रार्थीया की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 23.03.22 के अनुसार प्रार्थीया और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित होना बताते हुए कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह सावित नही है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर नही दिया गया। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण सं0 90/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20/11/25.

(सुचिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर